



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(11)पंरावि/प्रशा.1/सहा.अभि./ए.पी.ओ./2021/4754 जयपुर दिनांक-7.11.22


—: आदेश :-

निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	चन्द्रशेखर यादव	पंचायत समिति मारवाड जंक्शन (पाली) से पंचायत समिति भीनमाल (जालौर) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पंचायत समिति मारवाड जंक्शन (पाली)	रिक्त पद
2.	राजेश कुमार लवानियां	जिला परिषद धौलपुर	पंचायत समिति सैपऊ (धौलपुर)	रिक्त पद पर
3.	शैलजा भास्कर	पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर)	पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर)	रिक्त पद पर
4.	दान बिहारी शर्मा	पंचायत समिति बांदीकुई (दौसा)	पंचायत समिति छबडा (बारां)	रिक्त पद पर
5.	धीरेन्द्र कुमार गोयल	पंचायत समिति आमेर (जयपुर)	पंचायत समिति बनेडा (भीलवाडा)	रिक्त पद पर
6.	नरेश कुमार शर्मा	पंचायत समिति आमेर (जयपुर)	पंचायत समिति भदेसर (चित्तौडगढ़)	रिक्त पद पर
7.	कुलवन्त कालमा	पंचायत समिति बाली (पाली) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत जिला परिषद जालौर	रिक्त पद पर
8.	राजेन्द्र कुमार जांगिड	पंचायत समिति निवाई (टोंक)	पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर)	श्री संजय खण्डेलवाल के स्थान पर
9.	संजय कुमार खण्डेलवाल	पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर)	पंचायत समिति उनियारा (टोंक)	रिक्त पद पर
10.	ईश्वर सिंह	पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर	पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग (कृषि) हेतु कार्यमुक्त	—
11.	मुकेश कुमार स्वर्णकार	पंचायत समिति लाडपुरा, (कोटा) से पंचायत समिति आसीन्द (भीलवाडा) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति खैराबाद (कोटा)	रिक्त पद पर

उपरोक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करते/कराते हुये यदि किसी स्थान पर स्वीकृत पदों से अधिक सहायक अभियन्ता कार्यरत हो गये हो, तो नव-पदस्थापित अभियन्ता को कार्यग्रहण करवाकर 3 दिवस में विभाग को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करावें तथा यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र क्रमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेश वर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलक्टर, सम्बन्धित।
11. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
13. प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित कोर्ट केस।
14. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
16. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)